□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3432

13 □□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीओटीपीए समिति

3432. श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्री हेमन्त पाटिलः
श्री डी॰एम॰ कथीर आनन्दः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री अरविंद सावंतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
डॉ॰ सुजय विखे पाटीलः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार को सीओटीपीए समिति को पुनर्गठित करने को योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इसके क्या कारण ह और निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों म सीओटीपीए अधिनियम के संबंध म निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए ह;

(ख) रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों को संख्या कितनी है और धारा 6 (क) और 6 (ख) के अंतगत क्या कारवाई को गई है और सीओटीपीए अधिनियम को धारा 6 के अंतगत उल्लंघनकर्ताओं से शास्ति या जुमाना के रूप म अब तक कितनी राशि एकत्र को गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीओटीपीए अधिनियम के अंतगत शास्ति को राशि म वृद्धि करने का है ताकि इसे अधिक साथक बनाया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी के अनुच्छेद 5.3 के प्रभावी कायान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह;

(ङ) क्या अनुपालन के संबंध म राज्यों द्वारा (नगरपालिकाओं तथा राज्यों को मिलाकर) सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद संबंधी रिपोट के अनुपालन के लिए जारी परामश का कायान्वयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों म ऐसे उल्लंघनों के लिए विक्रेताओं पर दज किये गए मामलों के संबंध म आंकड़े प्रस्तुत करने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (श्री□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) नशा मुक्ति अभियान कायबल के अधीन गठित विनियामक प्रणाली काय समूह म संबंधित कानून/योजनाओं

के मौजूदा प्रावधानों को संभावना तथा मौजूदा प्रावधान/योजना म कोई अपेक्षित संशोधन करने के लिए विशलेशण का अधिदेश है। सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति व वितरण) अधिनियम (कोटपा), 2003 के मौजूदा प्रावधानों के पुनः प्रारूपण/ संशोधन हेतु काय समूह को अनुशंसा प्रतीक्षित है।

कोटपा, 2003 को धारा-4 और उनको नियमावली सावजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध करती है बशत कि तीस कमरों वाले होटल 30 और अधिक व्यक्ति को बैठने को क्षमता वाले रेस्टोरट और हवाई अड्डे म पृथक धूम्रपान क्षेत्र का प्रावधान किया गया है जैसा कि कोटपा, 2003 व उसको नियमावली म विनिर्दिष्ट किया गया है। इस धारा के प्रभागी कायान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित किए गए ह।

(ख) कोटपा, 2003 व उसको नियमावली के प्रावधानों को लागू करना राज्य/संघ राज्यों को जिम्मेदारी है । राज्यों संघ राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार कोटपा, 2003 को धारा 6 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु 9,44,679 व्यक्तियों पर जुमाना लगाया गया और 7,25,48,928 रुपए जुमाना एकत्र किया गया है । कोटपा, 2003 को धारा 6 और 4 म पंजाब और राजस्थान राज्यों से संबंधित आंकड़े शामिल है।

(ग) नशा मुक्ति अभियान कायबल के अधीन गठित विनियामक प्रणाली काय समूह म संबंधित कानून/योजनाओं के मौजूदा प्रावधानों को संभावना तथा मौजूदा प्रावधान/योजना म कोई अपेक्षित संशोधन करने के लिए विशलेशण का अधिदेश है। सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति व वितरण) अधिनियम (कोटपा), 2003 के मौजूदा प्रावधानों के पुनः प्रारूपण/ संशोधन हेतु काय समूह को अनुशंसा प्रतीक्षित है।

(घ) डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि पक्षकार राष्ट्रीय कानून के अनुपालन म तंबाकू उद्योग के व्यावसायिक और अन्य निहिताथ से तंबाकू नियंत्रित नीतियों को सुरक्षा हेतु काय करगे।

डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी के अनुच्छेद 5.3 के प्रभावी कायान्वयन हेतु मंत्रालय ने तंबाकू उद्योग द्वारा वित्तपोषित संगठनों के सहयोग न करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्र से कहा है ।

(ङ) और (च) कोटपा, 2003 और उसको नियमावली के प्रावधानों को लागू करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जिम्मेदारी है। इस धारा के प्रभावी कायान्वयन हेतु कद्र सरकार ने विभिन्न विभागों से प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित किए है तथा कोटपा 2003 के सख्त अनुपालन हेतु समय-समय पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह भी दी है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तिमाही आधार पर कोटपा 2003 के प्रावधानों के प्रवतन संबंधी रिपोट प्रस्तुत करते है।

******